

● 02 'जलन' - डर से संकल्प तक की यात्रा, एक देहदान की कहानी

● 06 पर्याप्त पानी के बिना जंगल कार्बन सोखने के लिए संघर्ष करते हैं

● 08 कोडुवलसा - कोरापुट दोहरीकरण परियोजना में सुरंग संख्या 41-41A की खुदाई का कार्य

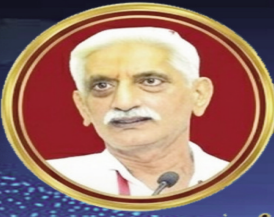
परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुँचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुँचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गुंजेगी पूरी दुनिया में परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर में "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।



संजय बाठला
मुख्य संपादक

दिल्ली परिवहन विभाग की चुप्पी: फर्जी ऑटो पंजीकरण से महिला सुरक्षा पर मंडराता निर्भया से भी बड़ा खतरा?

हेडवार्टर में बैठी महिला आयुक्त के नाक के नीचे धांधली, पुख्ता सबूतों के बाद भी कार्रवाई शून्य - आखिर क्यों मौन है सिस्टम?

रिपोर्ट केके छावड़ा

प्रस्तावना: लखनऊ के लोहिया संस्थान में ऑटो के अंदर दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का जो मामला सामने आया है, वह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि पूरे सार्वजनिक परिवहन तंत्र की विफलता का प्रतीक है। जब ऑटो का चालक और उसका सत्यापन ही फर्जी हो, तो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? दिल्ली में भी यही खेल चल रहा है। ऑटो-टैक्सी शाखा में कथित फर्जी पंजीकरण की जानकारी विभाग के शीर्ष स्तर तक होने के बावजूद चुप्पी, आगे वाले किसी बड़े हादसे की आहट है।

मुख्य बिंदु - तथ्य क्या कहते हैं:

1. हकीकत - लोहिया कांड से सबक: लखनऊ की घटना ने दिखा दिया - बिना पुलिस वेरिफिकेशन और बिना वैध परमिट के चल रहे ऑटो महिलाओं के लिए कितने खतरनाक हैं। परिसर में पुलिस चौकी होने के बावजूद अपराध हुआ। दिल्ली में तो हजारों ऑटो रोज सड़कों पर हैं। यदि उनका पंजीकरण ही गलत तरीके से हुआ है, तो चालक का चरित्र सत्यापन कैसे होगा?

2. दिल्ली में क्या हो रहा है - आरोप: - सूत्रों के अनुसार ऑटो-टैक्सी शाखा में कुछ पंजीकरणों में दस्तावेजों के मिलान में गड़बड़ी, फिटनेस और परमिट नियमों की अनदेखी की शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं।

- परिवहन विभाग का मुख्यालय 5/9 अंडर हिल रोड, जहां महिला अधिकारी भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, फिर भी शिकायतों पर कोई सार्वजनिक कार्रवाई रिपोर्ट नहीं।

- संयुक्त आयुक्त (संचालन शाखा) की भूमिका पर सवाल - फ्रीलड में चल रहे ऑटो

का सत्यापन किसकी जिम्मेदारी?

3. संवैधानिक और न्यायिक प्रहार - यह चुप्पी असंवैधानिक क्यों है?

क) संविधान का उल्लंघन:
- अनुच्छेद 21 - जीवन और सुरक्षा का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस (मुकेश vs राज्य 2017) में कहा था - महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का परम कर्तव्य है। असुरक्षित परिवहन देना इस अधिकार का हनन है।

- अनुच्छेद 14 और 15 (3): राज्य को महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। फर्जी ऑटो को चलने देना समानता के खिलाफ है।

ख) मोटर वाहन अधिनियम 1988 और नियम:

- धारा 74 और 74(3)(b) - परमिट की शर्तें: हर ऑटो चालक का पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

- दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993, नियम 103-105: ऑटो पंजीकरण से पहले वाहन का फिजिकल इंस्पेक्शन और दस्तावेजों की जांच अनिवार्य।
- राजपत्र अधिसूचना GNCTD/2023: सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में GPS, पैनिक बटन अनिवार्य। फर्जी पंजीकरण वाले वाहनों में यह सिस्टम काम ही नहीं करता।

ग) सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश:

- सुप्रीम कोर्ट आदेश WP 13029/1985 (एम.सी. मेहता vs भारत



संघ): सार्वजनिक वाहनों की फिटनेस से कोई समझौता नहीं।

- दिल्ली हाईकोर्ट WP 3791/2021: दिल्ली सरकार को आदेश - अवैध रूप से चल रहे ऑटो-टैक्सी पर तुरंत रोक लगाओ और सत्यापन प्रक्रिया सार्वजनिक करो।

- जस्टिस वर्मा कमिटी रिपोर्ट (2013): निर्भया के बाद बनी कमिटी ने साफ कहा था - सार्वजनिक परिवहन की निगरानी में लापरवाही को आपराधिक लापरवाही माना जाए।

संपादकीय सवाल - 4 बड़े प्रश्न:

1. जब पुख्ता सबूत और शिकायतें मुख्यालय में मौजूद हैं, तो परिवहन आयुक्त, विशेष आयुक्त और संयुक्त

आयुक्त (ऑपरेशन) की चुप्पी का कारण क्या है?

2. महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार के मुख्यालय में ही यदि फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो आम महिला किस पर भरोसा करे?

3. लोहिया संस्थान में पुलिस चौकी के बावजूद अपराध हुआ। दिल्ली में बिना GPS, बिना वेरिफिकेशन वाले ऑटो क्या पुलिस चौकियों को भी धोखा नहीं दे रहे?

4. क्या विभाग किसी बड़े हादसे का इंताजार कर रहा है, ताकि फिर एक और निर्भया के नाम पर मोमबत्ती जलाई जाए?

हमारी मांग (परिवहन विशेष की राय):

1. दिल्ली परिवहन विभाग तुरंत सभी ऑटो-टैक्सी पंजीकरणों का थर्ड-पार्टी ऑडिट कराए और रिपोर्ट सार्वजनिक करें।

2. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार 7 दिन के अंदर हेडक्वार्टर में जनसुनवाई करें और दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करें।

3. हर ऑटो में GPS-पैनिक बटन की लाइव मॉनिटरिंग ISBT और पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ी जाए।

4. महिला सुरक्षा के महेनजर दिल्ली महिला आयोग इस मामले का स्वतः संज्ञान ले।

अंत में: परिवहन विभाग का काम सिर्फ लाइसेंस देना नहीं, जीवन की सुरक्षा देना है। यदि कामजो में ही फर्जीवाड़ा होगा, तो सड़क पर सुरक्षा कैसे मिलेगी? दिल्ली को एक और निर्भया कांड नहीं चाहिए, उसे इमानदार जवाबदेही चाहिए।

-संपादक, परिवहन विशेष

<http://www.newsparivahan.com>

सरकारी स्कूल का ताला, गरीब के भविष्य पर ताला?

जब अपर कलेक्टर कहते हैं रगांव में ही रहने दें स्कूलर - तो सवाल उठता है - क्या अफसरशाही संविधान से ऊपर हो गई?

स्थान: रायसेन / सांची। रिपोर्ट: परिवहन विशेष ब्यूरो

रायसेन जिले के कनापार सांची गांव में जो हो रहा है, वह सिर्फ एक स्कूल के गेट की कसनी नहीं है, वह इस देश के करोड़ों गरीब, मजदूर और किसान के बच्चों के भविष्य को अंधेरे में धकेलने की सांग्रिश है। शासकीय प्राथमिक शाला, कनापार को सांदेगपि विद्यालय सांची में नर्ज करने के आदेश के खिलाफ जब मजदूर मां-बाप जनसुनवाई में पहुंचे, तो अपर कलेक्टर मनोज श्यामराय का बेटुका जवाब - "गांव में ही रहने दें स्कूलर" - ने पूरे सिस्टम की संदेहबनीता उजागर कर दी।

मुख्य बिंदु - भागीणों का दर्द:

1. सुरक्षा का संकट: कनापार से सांची की दूरी 7-8 किमी है। 16 से 10 साल के बच्चे रोज नेशनल हाइवे/रेलवे क्रॉस करके कैसे जाओगे?

2. मजदूर अभिभावकों की मजबूरी: गांव के 90% अभिभावक दिवंगत मजदूर हैं। वे सुबह 6 बजे मजदूरी पर निकल जाते हैं। कोन छोड़ने बच्चों को 4 किमी दूर?

3. झोपड़ा का खतरा: RTE की रिपोर्ट कहती है, प्राथमिक स्कूल 1 किमी से ज्यादा दूर लेगे पर 40% गरीब बच्चे, विशेषकर बहियां, स्कूल छोड़ देते हैं।

संदर्भात्मक और ब्यापिक प्रश्न - यह मर्जर अस्वैधानिक क्यों है?

1. संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन:

- अनुच्छेद 14 - शिक्षा का मौलिक अधिकार: संविधान करता है 6-14 वर्ष

PARIVAHAN VISHESH - विशेष समाचार - 3 अक्टूबर 2026 शनिवार - पृष्ठ 1



के हर बच्चे को गुप्त और अभिचार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व है। "मुफ्त" का मतलब सिर्फ फीस नहीं, बल्कि सुनिश्चित भविष्य भी है। स्कूल दर करके प्राइवेट अधिकार को खल कर रहे हैं।

- अनुच्छेद 45 और प्रस्तावना: राज्य को सामाजिक ब्याय सुनिश्चित करना है। गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो समाजता कैसे आओगी?

1. RTE अधिनियम 2009 का खुला उल्लंघन:

- RTE अधिनियम की धारा 6 और 8 के अनुसार, सरकार को 1 किमी के भीतर प्राथमिक विद्यालय और 3 किमी के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना अनिवार्य है।

- धारा 6 के तहत स्कूल बंद करना या मर्ज करना तब तक गैरकानूनी है जब तक वैकल्पिक व्यवस्था पड़ोस में न हो। कनापार के लिए यह शर्त पूरी नहीं होती।

- सुप्रीम कोर्ट ने State of Tamil Nadu vs K. Shyam Sunder (2011) में साफ कहा था - बिना अभिभावकों और स्थानीय निकाय से चर्चा के स्कूल मर्ज नहीं हो सका।

3. ब्यापिक आदेशों की अनदेखी: - सुयोग कोर्ट के निर्देश (2014 - RTE Compliance Case): कोर्ट ने कहा था कि कन नागरिकन का बहाना बनाकर स्कूल बंद करना "शिक्षा के अधिकार की हत्या" है। नागरिकन बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है, बच्चे की नहीं।

- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर (2023) - WP 13450/2023: कोर्ट ने MP सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था - "गोचना के नाम पर भागीण स्कूलों को बंद करना बंद करो, पहले शिक्षक दो, सुविधा दो।"

- मोरिनी जैव vs कर्नाटक राज्य (1992) में सुयोग कोर्ट ने शिक्षा को जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का हिस्सा माना। स्कूल छीनना जीवन छीनने जैसा है।

संपादकीय सवाल: यदि सरकार को लगता है कि स्कूल में बच्चे कम हैं, तो क्या उसने कभी पूछा क्यों कम हैं? क्या वहीं शिक्षक हैं? क्या शौचालय हैं? क्या मध्याह्न भोजन समय पर मिलता है? कभी व्यवस्था नहीं है, बच्चों में नहीं। आज कनापार है, कत देश के। लाख

स्कूल इसी तर्क से बंद हो जाओगे। तब क्या गरीब का बच्चा सिर्फ मजदूरी से करेगा?

हमारी मांग (परिवहन विशेष की राय):

1. कनापार सांची के स्कूल मर्ज का आदेश तत्काल निरस्त किया जाए।

2. कलेक्टर रायसेन 7 दिन में आमसभा में जाकर अभिभावकों से संवाद करें।

3. मध्यप्रदेश सरकार RTE Act के मानकों का पालन करे, न कि उसे तोड़े।

4. अपर कलेक्टर के गैर-जिम्मेदाराना बयान पर मुख्य सचिव संज्ञान लें। अंत में: भारत को दिक्कत न बनाना है तो स्कूल बंद करके नहीं, स्कूल खोलकर बनाना। कनापार की वह छोटी बच्ची जो बस्ता लेकर बंद ताले को देख रही है, वह सिर्फ कनापार की नहीं, पूरे भारत के भविष्य की तस्वीर है।

-संपादक, परिवहन विशेष

<http://www.newsparivahan.com>

> क्या आपके गांव में भी ऐसा हो रहा है? हमें लिखें - [newsparivahan.com](http://www.newsparivahan.com) / WhatsApp - पर बताएं हम आपकी आवाज बनेंगे।

परिवहन विशेष - व्यक्तित्व विशेषांक - RNI DELHIN/2023/86499

शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | पृष्ठ 03 | प्रेरणा स्तंभ

व्यक्तिगत सारांश - संजय कुमार बाठला

संजय कुमार बाठला एक अनुभवी प्रकाशक, संपादक, समाज सुधारक एवं उद्योग नेता हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता रहते हुए उन्होंने परिवहन एवं उद्योग क्षेत्र में कई दशकों तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उनका लक्ष्य पारदर्शी, सुरक्षित और श्रमिक-कल्याण आधारित परिवहन नीति के विकास में सक्रिय भूमिका निभाना रहा है।

उन्होंने कई NGOS और ट्रस्टों के माध्यम से सामाजिक सुधार, श्रम कल्याण और मीडिया नेतृत्व को प्रोत्साहित किया है।

सह-संपादिका - पंकि कुंडू | www.newsparivahan.com

टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

<https://tolwa.com/about.html> | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

हाइब्रिड मोड में साइबर अपराध

कोल पर रखा गया, निगरानी की गई और विदेश में रह रहे बच्चों की गिरफ्तारी की धमकी दी गई।

मनोवैज्ञानिक दबाव: कहा गया कि मामला "राष्ट्रीय सुरक्षा" से जुड़ा है और किसी को न बताने का आदेश दिया गया।

विनीय और संपत्ति हानि

नकद हस्तांतरण: ₹3 लाख ठगों द्वारा बताए गए खातों में भेजे गए।

गोल्ड लोन: 83.5 ग्राम गहने मुथूट फिनकोर्प में गिरवी रखे गए, ₹5 लाख मिले जिन्हें तुरंत ठगों ने निकाल लिया।

संपत्ति बिक्री: उनका वसंत कुंज स्थित घर, जिसकी कीमत ₹2.4 करोड़ थी, दबाव में बेच दिया गया। ठगों ने प्रॉपर्टी डीलर भेजकर मूल कागजात लिए और फर्जी बिक्री करवाई।

कुल नुकसान: घर, गहने और बचत — यानी जीवनभर की पूरी संपत्ति।

हाइब्रिड कार्यप्रणाली ("डिजिटल + भौतिक उगाही का सैडविच")

1. डिजिटल परत:

- फर्जी कॉल, स्मूफ आईडी, पुलिस वर्दी में वीडियो कॉल।
- लगातार निगरानी कर पीड़िता को अलग-थलग करना।
- गिरफ्तारी, जमानत न मिलने और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी।

2. भौतिक परत:

- ठग घर पर आए, प्रॉपर्टी डीलर और खरीदार बनकर।
- मूल दस्तावेज लिए और घर की बिक्री करवाई।
- लेन-देन व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया।

यह एक खतरनाक बढ़ोतरी है: अब धोखाधड़ी केवल ऑनलाइन हेरफेर तक सीमित नहीं रही बल्कि वास्तविक दुनिया की उगाही तक फैल गई है, जिससे साइबर अपराध और पारंपरिक उगाही को सीमाएँ धुंधली हो गई हैं।

प्रमुख जॉखिम

- अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक अत्यधिक असुरक्षित।
- डिजिटल अरेस्ट स्कैम अब भौतिक सहयोगियों को शामिल कर रहे हैं, जिससे इन्हें रोकना कठिन

धमकी।

सिफारिशें

- जन जागरूकता: यह दोहराएँ कि कोई भी असली पुलिस या ED अधिकारी कॉल/वीडियो पर पैसे या संपत्ति की माँग नहीं करेगा।
- बैंक और संपत्ति सुरक्षा:** - बैंक को वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दबाव में लिए गए असामान्य गोल्ड लोन या संपत्ति बिक्री को चिन्हित करना चाहिए।
- संपत्ति रजिस्ट्रार को स्वतंत्र सत्यापन करना चाहिए।
- कानून प्रवर्तन:** 0 हाइब्रिड स्कैम को संगठित

अपराध सिंडिकेट मानकर कार्रवाई करें।

- साइबर सेल और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय मजबूत करें।
- परिवार की सतर्कता: बुजुर्ग रिश्तेदारों से नियमित संपर्क रखें ताकि दबाव का पता जल्दी चल सके।

दिल्ली का यह मामला दिखाता है कि साइबर धोखाधड़ी अब "सैडविच फ्राइड" में बदल गई है — डिजिटल डराने धमकाने के साथ भौतिक उगाही की परत। यह बहुस्तरीय सुरक्षा का तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है: मजबूत साइबर जागरूकता, वित्तीय/संपत्ति लेन देन की सख्त निगरानी, और परिवार/समुदाय का सक्रिय सहयोग ताकि कमजोर व्यक्तियों की रक्षा की जा सके।

आंगन मिलन सेवा माँडयूल के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को दी गई संतुलित आहार की जानकारी



–खंड मातनहेल और साल्हावास में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी 15 हजार 50 लाभार्थियों ने लिया भाग, पोषण, स्वस्थ खान-पान और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी –महिलाओं और किशोरियों और बच्चों को संतुलित पोषाहार,स्वस्थ जीवनशैली और सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति निरन्तर जागरूक कर रहा महिला एवं बाल विकास विभाग

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 02 अक्टूबर जिलाभर में डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में आगामी 17 अक्टूबर तक चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन जारी है। शुक्रवार को सेवा संकल्प अभियान के ' आंगन

मिलन सेवा' माँडयूल के थीम पर खंड मातनहेल और साल्हावास में आंगनबाड़ी केंद्रों पर तीन दिवसीय कार्यक्रमों के दूसरे दिन पेन्टिंग, रंगोली, स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मातनहेल में सीडीपीओ राजबाला व सुपरवाइजर सुमन रानी, छुछकवास में सुपरवाइजर रश्मि रानी के नेतृत्व में पोषण सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों से संवाद कर पोषण, बच्चों की वृद्धि एवं विकास, स्वस्थ संतुलित खान-पान और अच्छे व्यवहार सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को दी जा रही योजनाओं की जानकारी

डीपीओ नेहेा दहिया ने बताया कि कार्यक्रमों के दौरान सीडीपीओ राजबाला व सुपरवाइजर

सुमन ने मातनहेल में विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें बच्चों के उचित पोषण, वृद्धि एवं विकास तथा स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में जागरूक किया। साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार के संबंध में भी जानकारी दी गई।

पोषण और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति किया जागरूक

डीपीओ ने बताया कि ' आंगन मिलन सेवा' माँडयूल के माध्यम से प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, स्वास्थ्य, योग एवं स्वस्थ जीवनशैली संबंधी जागरूकता का केंद्र बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य लाभार्थियों को स्वास्थ्यवर्धक आदतों को अपनाने तथा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं विकास के लिए जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि खंड साल्हावास के

111तथा मातनहेल के 148 आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित गतिविधियों में दूसरे दिन खंड साल्हावास से 6529 तथा खंड मातनहेल क्षेत्र से 8521 लाभार्थियों ने भाग लिया। इस प्रकार दोनों खंडों में कुल 15 हजार 50 लाभार्थियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।

महिलाओं के कल्याण को लेकर

महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतिबद्ध

डीपीओ ने बताया कि कार्यक्रमों के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में भी लाभार्थियों को जानकारी दी गई। इनमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व एवं शिशु कल्याण योजना तथा आंगनवाड़ी आधारित स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं की जानकारी शामिल रही।

पराली जलाना पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक : डीसी

पराली जलाने पर एफआईआर, रेड एंट्री के साथ सख्त कार्रवाई का प्रावधान डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा- फसल अवशेष जलाने वालों का प्रशासन की कड़ी नजर, ड्रेन व सेटलाइट मॉनिटरिंग से हो रही निगरानी किसानों से पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की अपील

झज्जर, 02 अक्टूबर जिला में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

डीसी वर्षा खांगवाल ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद खेतों में पराली अथवा फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित कार्यालयों को फील्ड मॉनिटरिंग के साथ-साथ तकनीकी माध्यमों से निगरानी बढ़ाने तथा पराली जलाने की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

डीसी ने कहा कि पराली जलाना न केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। इसलिए किसान फसल अवशेषों को

जलाने की बजाय उनका उचित प्रबंधन करें और उपलब्ध कृषि मशीनरी एवं वैज्ञानिक तकनीकों का लाभ उठाएं।

पराली जलाने पर एफआईआर और जुमाने का सख्त प्रावधान

डीसी ने बताया कि खेत में पराली जलाने की पुष्टि होने पर संबंधित खेत मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमों के तहत जुर्माना/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने के साथ ही सत्यापित मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज करने का प्रावधान है। साथ ही, उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार एफआईआर एवं चालान की कार्रवाई भी की जाएगी।

रेड एंट्री के कारण सरकारी

खरीद से जुड़े लाभ हो सकते हैं प्रभावित

डीसी ने बताया कि पराली जलाने की पुष्टि के बाद की जाने वाली रेड एंट्री का असर खेत मालिक को मिलने वाले सरकारी लाभों पर भी पड़ सकता है। ऐसे मामलों में सरकारी खरीद एवं एमएसपी से संबंधित लाभ प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी स्थिति में फसल अवशेष न जलाएं और प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उपयोग करें।

ड्रेन व सेटलाइट से भी रखी जा रही नजर

जिलाभर में पराली जलाने की

पहुंचे। घटना का सत्यापन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। फसल अवशेष प्रबंधन पर किसानों को मिल रही प्रोत्साहन राशि डीसी ने किसानों से कहा कि पराली को जलाने की बजाय खेत में ही उचित तरीके से प्रबंधित करें। पराली को खेत में मिलाते सहित फसल अवशेष प्रबंधन के वैज्ञानिक उपाय अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत पात्र किसानों के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी है।

सेवा की कहानी : गाँव उखलचना(कोट) में इंडोर जिम से स्वस्थ एवं सशक्त ग्रामीण समाज की ओर बढ़ता कदम

गांव में ही उपलब्ध हुई आधुनिक व्यायाम एवं फिटनेस सुविधा

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 02 अक्टूबर। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं एवं आमजन को स्वास्थ्य एवं फिटनेस संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आधुनिक जीवनशैली, शारीरिक गतिविधियों में कमी तथा स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए गांव स्तर पर बेहतर खेल एवं फिटनेस सुविधाओं का होना बेहद जरूरी है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा जिला के गांव उखलचना (कोट) में आधुनिक इंडोर जिम की स्थापना की गई है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने ही गांव में सुविधाजनक एवं बेहतर वातावरण में व्यायाम तथा फिटनेस की सुविधा उपलब्ध करवाना है।

इंडोर जिम की स्थापना से पहले गांव के युवाओं एवं अन्य ग्रामीणों को व्यायाम एवं फिटनेस के लिए झज्जर शहर की निजी जिम में जाना पड़ता था। इससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त आवश्यकता होती थी तथा अनेक लोग नियमित व्यायाम नहीं कर पाते थे। अब गांव में ही इंडोर जिम की सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीणों को अपने घर के नजदीक आधुनिक व्यायाम सुविधाएं प्राप्त हुई हैं।

युवाओं में बढ़ रही फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति रुचि

सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट ने



बताया कि गाँव उखलचना का इंडोर जिम युवाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रहा है। युवा अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यायाम को शामिल कर रहे हैं तथा शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय बन रहे हैं। गांव में इंडोर जिम की स्थापना से युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता, अनुशासन एवं नियमितता को बढ़ावा मिल रहा है। व्यायाम के माध्यम से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ने के साथ-साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की प्रवृत्ति भी मजबूत हो रही है। यह सुविधा युवाओं को नशे एवं अन्य अस्वस्थ गतिविधियों से दूर रखते हुए उन्हें सकारात्मक एवं रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

महिलाओं और आमजन के लिए भी स्वास्थ्य जागरूकता का माध्यम

इंडोर जिम की सुविधा केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव की

महिलाओं एवं अन्य आयु वर्ग के लोगों के लिए भी यह स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रति जागरूकता का माध्यम बन रही है। गांव में ही व्यायाम की सुविधा उपलब्ध होने से महिलाएं एवं अन्य ग्रामीण अपनी सुविधा के अनुसार शारीरिक गतिविधियों को दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इससे महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण एवं समग्र कल्याण को भी बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीणों को अपने ही गांव में फिटनेस की सुविधा मिलने से स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक सोच विकसित हो रही है।

फिटनेस को जीवनशैली का हिस्सा बनाने की दिशा में पहल

इंडोर जिम के माध्यम से ग्रामीणों को यह संदेश मिल रहा है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। नियमित व्यायाम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा व्यक्ति अपने दैनिक



कार्यों को अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। गांव में स्थापित यह इंडोर जिम ग्रामीणों में फिटनेस को जीवनशैली का हिस्सा बनाने की सोच को मजबूत कर रहा है। नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के प्रति बढ़ती जागरूकता आने वाले समय में ग्रामीण समाज को अधिक स्वस्थ एवं सक्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

ग्रामीण विकास के साथ मानव संसाधन विकास की ओर सार्थक कदम

गाँव उखलचना में स्थापित इंडोर जिम हरियाणा सरकार की उस सोच का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी शहरी क्षेत्रों के समान आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। यह पहल ग्रामीण विकास के साथ-साथ मानव संसाधन के विकास पर भी केंद्रित है। गांव के युवाओं को

बेहतर वातावरण एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उन्हें स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडोर जिम केवल व्यायाम उपकरणों और एक भवन तक सीमित सुविधा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन में स्वस्थ सोच और सकारात्मक बदलाव की शुरुआत का माध्यम बन रहा है।

गांव उखलचना में इंडोर जिम की स्थापना से युवाओं एवं आमजन को अपने गांव में ही फिटनेस की सुविधाएं उपलब्ध होंगे हैं। इसके माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन, खेल भावना एवं सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का अवसर मिला है। हरियाणा सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में "स्वस्थ नागरिक-स्वस्थ गांव-स्वस्थ हरियाणा" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रिफॉर्म उत्सव के तहत जिलाभर में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में हुई ग्रामीण विकास पर चर्चा



ग्राम सभा ग्रामीणों की सहभागिता से विकास योजनाओं को तय करने का बेहतर निष्पत्ती फार्म : डीसी गांव गिरावड़ में आयोजित विशेष ग्राम सभा में डीसी वर्षा खांगवाल,ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक श्याम कुमार रहे उपस्थित

डीसी वर्षा खांगवाल ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद, विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं पर हुई चर्चा

झज्जर, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर रिफॉर्म उत्सव का भव्य आगाज हुआ। शुक्रवार को डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में जिलाभर की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ।

गांव गिरावड़ में आयोजित ग्राम सभा में डीसी वर्षा खांगवाल और ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक श्याम कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। गिरावड़ की सरपंच सविता सोनू ने गांव में पहुंचे अधिकारियों का स्वागत किया। वहीं गांव सिलानी में एसडीएम झज्जर रवि मीणा, गांव नूना माजरा में एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, डीपल में एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, गांव देवरखाना में एसडीएम बादली विशाल कुमार, गांव बाढ़सा में आयोजित ग्राम सभा में सीटीएम ऋतु सहित सभी 250 गांव में ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ।

गांव के विकास से जुड़े विषयों पर सुझाव जरूर दें ग्रामीण: डीसी

गांव गिरावड़ के ग्राम सचिवालय में आयोजित ग्राम सभा में डीसी वर्षा खांगवाल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए गांव के विकास, स्वच्छता, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन सुविधाओं तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर

समझने और उनके अनुरूप विकास की दिशा तय करने में मदद मिलती है। सरकार का प्रयास है कि विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी सेवाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे।

रिफॉर्म उत्सव के तहत योजनाओं एवं सुधारों की दी जानकारी

जिला परिषद के सीईओ मनीष फोगाट ने ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतिगत सुधारों तथा सरकार द्वारा आमजन की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। ग्रामीणों से स्थानीय स्तर पर बेहतर जनसेवा और व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव भी लिए गए। गांव के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर ग्रामीणों ने अपनी बात रखी। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एसडीओ डॉ. जगजीत सांगवान ने ग्रामीणों को पराली प्रबंधन को लेकर जागरूक किया। सरकार की जलहितकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से ग्रामीणों को डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।

यह रहे मौजूद

इस अवसर पर डीआरओ मनवीर सांगवान, डीडीपीओ निशा तंवर, डीआईओ अमित बंसल, डीएफएससी आदित्य कौशिक सहित संबंधित अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी मार्केट और प्लास्टिक कचरे की डंपिंग के खिलाफ धारा 163 लागू

जलाधीश वर्षा खांगवाल ने जारी किए आदेश

परिवहन विशेष न्यूज

बहादुरगढ़, 02 अक्टूबर। जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध तरीके से प्लास्टिक कचरे के अवैध संग्रहण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जारी आदेश के अनुसार बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी बाजार के चलते प्लास्टिक कचरा अनधिकृत रूप से सार्वजनिक स्थानों व भूमि पर डंपिंग करने से वायु और जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है और आमजन के जीवन की गुणवत्ता एवं शांति व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आदेश आमजन के हित में पारित किया गया है। यह आदेश 2 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

उन्होंने बताया कि इन आदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी पुलिस विभाग, आरटीए, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर परिषद बहादुरगढ़ के कार्यकारी अधिकारी तथा संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को सौंपी गई है। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

समाधान शिविर : हो रहा है हर शिकायत का प्राथमिकता से निदान : डीसी

– डीसी वर्षा खांगवाल ने सुनी समाधान शिविर में जनशिकायतें – समस्याओं के समाधान के लिए समाधान शिविरों का लाभ उठा रहे जरूरतमंद – झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी व बादली उपमंडल में भी आयोजित हो रहे हैं समाधान शिविर

झज्जर, 01 अक्टूबर। जिला में समाधान शिविर के माध्यम से जन सुनवाई करते हुए जरूरतमंद लोगों की सार्वजनिक व व्यक्तिगत शिकायतों का प्राथमिकता से निदान किया जा रहा है। यह जानकारी डीसी वर्षा खांगवाल ने गुरुवार को आयोजित समाधान शिविर में जनसमस्याएं सुनने उपरांत दी। डीसी ने बताया कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सचिवालय सभागार में लगे समाधान शिविर में लोगों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। डीसी ने गुरुवार को आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तरीय समाधान शिविर में आई शिकायतों में अधिकांश का मौके पर ही निदान किया जबकि शेष पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। डीसी ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए और शिकायतकर्ताओं को समाधान होने पर जानकारी दी जाए। डीसी ने कहा कि जिला में झज्जर मुख्यालय सहित बहादुरगढ़, बेरी व बादली उपमंडल स्तर पर भी समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है। नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिविरों का फायदा उठा अपनी समस्याओं का निदान करवा रहे हैं।

यह अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद

इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसडीएम झज्जर रवि मीणा, सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, सीटीएम ऋतु, डीआरओ मनवीर सिंह, डीडीपीओ निशा तंवर सहित प्रमिनिट पर्सन सुरेंद्र व चुन्नीलाल के साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

लवलीना ने फिर लहराया तिरंगा - मैरी कॉम के बाद गोल्ड जीतने वाली दूसरी महिला बॉक्सर बनीं

नागोया एशियाई खेलों में 75 KG में चीन को 5-0 से धोया, महिला तीरंदाजी में भी इतिहास - कोरिया को हराकर पहली बार रिकर्व गोल्ड

- खेल संपादक, परिवहन विशेष

नागोया (जापान) 2026 - #TeamIndia

1. रिंग की शेरनी लवलीना का कमाल: जापान के नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों के 14वें दिन भारत को सबसे बड़ा तोहफा मिला। असम की बेटी लवलीना बोरगोहेन (28 वर्ष) ने महिला 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में चीन की मजबूत बॉक्सर बाओ जियी को 5-0 से एकतरफा हराकर गोल्ड जीत लिया।

- यह एशियाड में लवलीना का पहला व्यक्तिगत गोल्ड है।

- यह मैरी कॉम (2014 ईचियोन) के बाद एशियाई



लवलीना की जीत सिर्फ एक मेडल नहीं, यह संदेश है कि भारत की बेटीयों अब रिंग में भी चीन को पटकनी दे सकती हैं। जब एक किसान की बेटी विश्व विजेता बनती है, तो वह पूरे पूर्वोत्तर और देश की बेटीयों के लिए प्रेरणा बनती है। तीरंदाजी में कोरिया जैसी महाशक्ति को हराना बताता है कि भारत अब खेलों में सिर्फ भागीदार नहीं, दावेदार है।

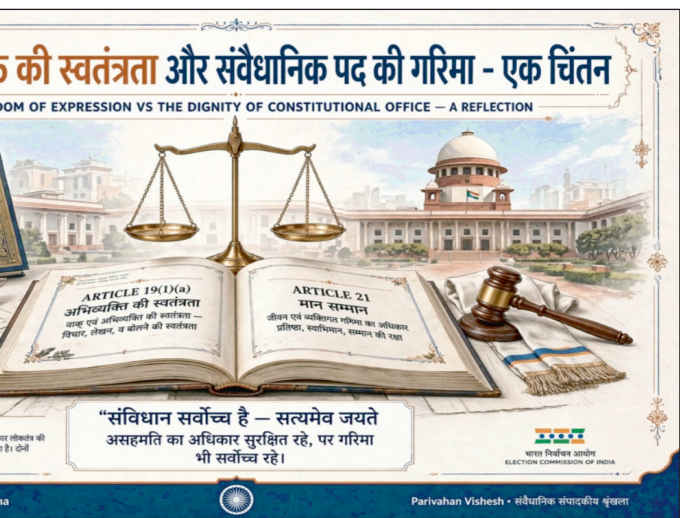
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक पद की गरिमा - एक चिंतन

लेखक - श्याम सुन्दर शर्मा

भूमिका: लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है। परंतु इसी संविधान में अनुच्छेद 21 - मान-सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। प्रश्न तब उठता है जब एक अधिकार दूसरे अधिकार का हनन करने लगे।

घटना का संदर्भ: समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार छिंदवाड़ा में राजीव भवन से कलेक्टर कार्यालय तक एक राजनीतिक संगठन द्वारा जुलूस निकाला गया। उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी का मुछोटा पहनाकर एक व्यक्ति के हाथों में हथकड़ी डालकर सार्वजनिक रूप से घुमाया गया, पुतला दहन किया गया और वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया।

संवैधानिक स्वरूप: लोकतंत्र चार स्तंभों पर टिका है



विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूर्ण करने के लिए किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को विशेष योग्यता और अनुभव के आधार पर दायित्व दिया जाता है। यदि किसी को उनकी कार्यशैली से असंतोष है, तो लोकतंत्र में उसका संवैधानिक मार्ग है। आप न्यायपालिका में जा सकते हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे सकते हैं, संसद में चर्चा कर सकते हैं। परंतु सार्वजनिक रूप से मुछोटा पहनाकर हथकड़ी डालकर जुलूस निकालना - क्या यह अभिव्यक्ति है या व्यक्तिगत मान-प्रतिष्ठा का हनन?

मूल प्रश्न - मौलिक अधिकारों का टकराव: क्या किसी व्यक्ति, संगठन या समूह को यह अधिकार है कि वह किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के नाम को प्रदर्शित कर उसका सार्वजनिक अपमान करे? यदि अधिकार है तो फिर प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं, सीधे पदमुक्त करना चाहिए था। और यदि अधिकार नहीं है, तो जिन्होंने ऐसा किया, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए?

जब किसी सामान्य नागरिक के साथ ऐसा होता है तो न्यायपालिका संज्ञान लेती है। तो क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन पर भी सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान

कोट्टावलसा—कोरापुट दोहरीकरण परियोजना में सुरंग संख्या 41-41A की खुदाई का कार्य सफलतापूर्वक पूरा

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: पूर्व तट रेलवे के रायगढ़ा डिवीजन के अंतर्गत कोट्टावलसा—कोरापुट दोहरीकरण परियोजना में बोरा गुहालु और करकावलसा स्टेशनों के बीच स्थित सुरंग संख्या 41-41A का सफल ब्रेकथ्रू (खुदाई कार्य) पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। 1 अक्टूबर 2026 को यह ब्रेकथ्रू 100 प्रतिशत अलाइनमेंट सटीकता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह चल रही दोहरीकरण परियोजना की प्रगति में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुल 829 मीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण हॉसशू (घोड़े की नाल) आकार में किया गया है और इसके अलाइनमेंट में 8 डिग्री तक का घुमाव है। बोरा गुहालु—करकावलसा ब्लॉक सेक्शन में इस सुरंग का ब्रेकथ्रू सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सुरंग संख्या 41-41A का सफल ब्रेकथ्रू दुर्गम भू-भाग में रेल बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि है।



निर्धारित अलाइनमेंट में 100 प्रतिशत सटीकता के साथ ब्रेकथ्रू पूरा होना कोट्टावलसा—कोरापुट दोहरीकरण परियोजना की प्रगति में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सुरंग की खुदाई पूरी होने से दोहरीकरण परियोजना के क्रमिक विकास में मदद मिलेगी और कोट्टावलसा—कोरापुट रेल सेक्शन में रेल बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। परियोजना पूरी होने के बाद रेल लाइन की क्षमता में वृद्धि, परिचालन दक्षता में सुधार तथा इस क्षेत्र में मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों के सुचारु संचालन में सहायता मिलेगी।

पूर्व तट रेलवे की ओर से गांधी जयंती एवं स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: जारी स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत पूर्व तट रेलवे की ओर से आज महात्मा गांधी जयंती एवं स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व तट रेलवे मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पूर्व तट रेलवे के महाप्रबंधक श्री परमेश्वर फुंकवाल ने इस अवसर पर कार्यक्रम का नेतृत्व किया। रेल हाउस गेट से रेल कुंज कॉलोनी होते हुए रेल सदन तक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वच्छता तथा सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। प्रभात फेरी के बाद रेल सदन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके माध्यम से



पर्यावरण संरक्षण एवं टिकाऊ पर्यावरण के महत्व पर जोर दिया गया। इस अवसर पर स्वच्छता शपथ एवं स्वच्छता परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। इसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। पूर्व तट रेलवे में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक

‘स्वच्छता पखवाड़ा’ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया गया। इस अभियान के दौरान स्वच्छता, जनभागीदारी, जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन एवं टिकाऊ आदतों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। रेलवे कर्मचारियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया जा रहा है।

एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्वार्टेट सेपक टकराव स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर टीम इंडिया बधाई का पात्र

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली। जापान में आयोजित एशिया गेम्स 2026 में मेजबान देश जापान के खिलाफ खेलते हुए रोमांचक सेमीफाइनल में पुरुष सेपक टकराव टीम आफ इंडिया ने जबरदस्त संघर्ष,दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता।खेल मंत्री तेलंगाना वाकाटि श्रीहरि,तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ए.पी. जितेंद्र रेड्डी और पेरिका सुरेश,प्रथम सेयुक्त महासचिव, सेपक टकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं अध्यक्ष,तेलंगाना सेपक टकराव एसोसिएशन की उपस्थिति और प्रोत्साहन में टीम इंडिया के खिलाड़ियों को



अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया, इसी का नतीजा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स सेपक टकराव में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उल्लेखनीय है कि प्रथम संयुक्त महासचिव सेपक टकराव ऑफ इंडिया पेरिका सुरेश ने जापान में सेपक टकराव टीम की नेतृत्व की थी।दक्षिण भारत से वह अकेला ऐसा व्यक्ति हैं जिनका चयन जापान में आयोजित एशियन गेम्स में सेपक टकराव के नेतृत्वकर्ता के रूप में किया गया था।उन्होंने कहा कि सेपक टकराव भारत ही नहीं विश्व में लोकप्रियता के नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने भारत की विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी।

जयंती पर कानपुर में याद किए गए गांधी और शास्त्री ,आयोजित हुए कार्यक्रम सुनील बाजपेई

कानपुर। आज यहां जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया गया। इसके लिए शहर भर में आयोजित कार्यक्रमों में गांधीजी के आदर्शों पर चलने की भी बात कही गई। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री तथा जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को पुलिस कमिश्नर के सीपी रघुवीर लाल ने भी कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके आदर्शों पर कर्तव्यनिष्ठा से चलने के लिए शपथ भी दिलाई। शास्त्री जयंती की यह कार्यक्रम प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा भी आयोजित किए गए। इसी तरह से कानपुर देहात में भी डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी



की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने दोनों महापुरुषों के चित्र का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जयंती पर आयोजित हर कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जी के प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा रामर से हुई, जो समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी

और शास्त्री जी के विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रोज बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हैं, वह पहले खुद में लाएं। साथ ही सत्य और अहिंसा जैसे मूल्यों को जियने में अपनाते की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन के भी सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।